न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-417 RAAJodhpur2022-181RTA223 Bhanwarsingh ors vs Dalpatsingh etc

01. भंवर सिंह पुत्र पीरदानसिंह
02. सगतसिंह पुत्र पीरदानसिंह
03. डूंगरसिंह पुत्र पीरदानसिंह
04. अगरकंवर पत्नी पीरदानसिंह
05. सायरकंवर उर्फ सुवाकंवर पत्नी रामसिंह
06. तेजसिंह पुत्र गुमानसिंह
07. मगसिंह पुत्र गुमानसिंह
08. मदनसिंह पुत्र गायड़सिंह
09. अन्तकंवर पत्नी गायड़सिंह, जातियान् राजपूत, निवासीगण- अभयगढ गड़ा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. दलपसिंह पुत्र रूपसिंह
2. गजेसिंह पुत्र रूपसिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण- अभयगढ गड़ा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत गड़ा, जरिये सरपंच, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 18/2021 दलपत सिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री छोटूसिंह सोढा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

13.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 13 फरवरी 2024

सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 सितंबर 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 18/2021 अनवान दलपतसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 नवंबर 2022 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 725 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 726 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 727 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन टांका, खसरा नं. 728/3 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 728/4 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, एवसं खसर नं. 24 रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा ग्राम अभयगढ तहसील शेरगढ के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

13.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई हेत किसी प्रकार का नोटिस जारी किये बिना उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए बिना साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लिये आलौच्य एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मनमाफिक एवं मनगढंत हिस्सा दर्शाते हुए वाद प्रस्तुत किया है तथा बिना दस्तावेज प्रदर्श करवाये आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में पारित करवायी है। विचारण न्यायालय को खातेदारी भूमि के विभाजन के वाद में सभी हितबद्ध खातेदारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा साक्ष्य सबूत लेकर ही बंटवाड़े की प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नही किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किये जाने से उन्हें समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 07.11.2022 को पटवारी हल्का के बताने पर अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। तब प्रथम जानकारी से अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स

13.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 सितंबर 2021 अपास्त किये जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्यक तामील करवाये जाने के बाद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, प्रकरण के तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

13.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानो अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्य तामील करवाये बिना तथा उन्हें जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 सितंबर 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 18/2021 अनवान दलपतसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर